

प्रपत्र - 2

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, अरवलं।

(सर्व शिक्षा अभियान, अरवल।)

पत्रांक ...A+6/768

दिनांक19/11/2012

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक ।

पायस भिशन स्कूल

रोजापर अरवल, प्रखण्ड—अरवल।

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्त्रीकृति का प्रमाण—पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन—पत्र, एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक संचालन हेतु निर्गत तिथि से 31 मार्च 2019 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्त्रीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्त्रीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

1. प्रस्त्रीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता—पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय ~~प्रिवेट~~ बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण—पत्र के अनुपलब्धता, माध्याकारी प्रिवेट महिला अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म—स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

ज्ञान (Kumud)



पेयजल की सुविधा: बोरिंग + नल।

शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय: अनुपलब्ध।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण आर्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, अरब : को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को अन्नटि प्रस्वीकृति कोड संख्या 22AR/PVT/2017 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार वा पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या नह एवं उद्धत किया जाए।
17. निदेशक, पाठ्यमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, अरब : के द्वारा समय-समय पर भाँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. आपके द्वारा आवेदन के साथ उपलब्ध करायी गयी सूचना को आधार मान कर यह प्रस्वीकृति दी जा रही है। भविष्य में अगर पाया गया कि आपके द्वारा दी गयी सूचना गलत है तो प्रस्वीकृति रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
20. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

Principal
PIOUS MISSION SCHOOL
ARWAL

//:Desktop/Ranjan Sir/05-12-2017 Praptra-2 Letter

विश्वासभाजन।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,
सड-सदस्य सविक प्रस्वीकृति समिति
आरबल।

19/12/17
Raj Kumar

